



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 2009/चैत्र 16, 1931

No. 585]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2009/CHAITRA 16, 1931

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2009

का.आ. 926(अ).—केंद्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1192(अ) तारीख 3 दिसम्बर, 2001, द्वारा क्रमशः हरियाणा और पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.1 के 29.300 कि.मी. से 212.000 कि.मी. (दिल्ली/हरियाणा सीमा से हरियाणा/पंजाब सीमा खंड) और 212.000 कि.मी. से 387.100 कि.मी. (हरियाणा/पंजाब सीमा से जालंधर खंड) तक के विस्तार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और, उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने पंजाब और हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के 96.000 कि.मी. से 387.100 कि.मी., पानीपत-जालंधर सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है), को छह लेन का बनाने के लिए मैसर्स सीमा-आईसोलक्स एन.एच.वन टोलवे प्रा.लि. जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 8वीं मंजिल-ब्लॉक बी, वाटिका टॉवर्स, गोल्फ लिंक्स रोड, सेक्टर 54, गुडगांव-122002 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के

लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 56(अ) तारीख 8 जनवरी, 2008, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उक्त सेक्शन के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अंतर्ग्रस्त व्यय, विनिघात पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात परिमाण और प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त सेक्शन के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को नियत तारीख या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन इनमें से जो पश्चात् हो, की तारीख से करार में यथा विनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक फीस संग्रहीत करने और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

रियायतग्राही नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों पर उक्त सेक्शन के उपयोग के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आधार फीस की दर पर फीस संग्रहीत और प्रतिधारित करेगा।

फीस 146.400 कि.मी. (करनाल), 212.000 कि.मी. (शम्भू) और 328.050 कि.मी. (लोडोवाल) पर स्थित तीन पथकर प्लाजों पर संग्रहीत की जाएगी।

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रकार	आधार फीस प्रति यान प्रति फेरा फीस की दर (रुपए प्रति कि.मी में)
1	कार, यात्री बैन अथवा जीप	0.40
2	हल्के वाणिज्यिक यान (एल सी वी)	0.70
3	ट्रक/बस	1.40
4	बहुधुरीय यान (>2 धुरीय)*	2.25

*बहुधुरी यान जिसमें अर्थ मूविंग उपस्कर और भारी संनिर्माण मशीनरी यान सम्मिलित होगी।

टिप्पण :—

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :—

(i) "वास्तविक फीस" से निम्नलिखित के आधार पर व्युत्पन्न उक्त खंड या इसके किसी भाग के सड़क उपयोक्ताओं से प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है :

(क) परियोजना राजमार्ग की लम्बाई, जो विशिष्ट पथकर प्लाजा को समनुदेशित है

(ख) उपरोक्त सारणी में दी गई आधार फीस, और जो एक रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी।

(ii) "नियत तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिस दिन से रियायत अवधि आरंभ समझी जाती है।

(iii) कार/जीप/बैन के लिये संदेय फीस के सम्बन्ध में "स्थानीय यातायात" से निम्नलिखित प्रकार का यातायात अभिप्रेत है :—

(क) "स्थानीय यातायात प्रवर्ग I" से निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी के अंतर्गत आने वाले प्रयोक्ता सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(1) ऐसे ग्रामों/कस्बों/शहरों के निवासी जिसकी सीमा फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) से दस कि.मी. के घेरे के भीतर आती है।

(2) फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापनों/औद्योगिक ईकाई है।

(3) ऐसे स्थापनों/औद्योगिक ईकाइयों जो या जिसके कार्यालय फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित हैं के कर्मचारी और

(4) स्वनियोजित व्यक्ति/कारोबारी जिनका कार्य स्थल फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित है

(ख) "स्थानीय यातायात प्रवर्ग II" में निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी के अंतर्गत आने वाले स्थानीय उपयोक्ता सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(1) ग्रामों/कस्बों/शहरों के निवासी जिसकी सीमा फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर आती है।

(2) फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापनों/औद्योगिक ईकाइयों।

(3) ऐसे स्थापनों/औद्योगिक ईकाइयों जो फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. से अधिक किन्तु फीस संग्रहण बूथा (टोल प्लाजा) से बीस कि.मी तक के घेरे के भीतर अवस्थित हैं या जिनका कार्यालय स्थित है; के कर्मचारी और

(4) स्वनियोजित व्यक्ति/कारोबारी जिनका कार्य स्थल फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित है

(iv) "समाप्त की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है।

(v) ऐसे शब्द और पद जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु उक्त धारा के सम्बन्ध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त करार, में क्रमशः उनके हैं।

2. चालू वर्ष के लिए फीस की वास्तविक दर और प्रत्येक 1 वर्ष सितम्बर से प्रभावी उसकी पुनरीक्षण की संगणना निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा :—

आधार फीस × $\frac{\text{डब्ल्यू पी आई-बी}}{\text{डब्ल्यू पी आई-ए}}$ × विशिष्ट फीस प्लाजा को समनुदेशित लम्बाई (कि.मी. में)

जहां

*डब्ल्यू पी आई-ए = जून 1997 (131.4) को थोक कीमत सूचकांक है

*डब्ल्यू पी आई-बी = फीस पुनरीक्षण तारीख के पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष की समाप्ति के लिए औसत थोक कीमत सूचकांक है

*डब्ल्यू पी आई से आर्थिक सलाहकार, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, द्वारा जारी किया गया थोक कीमत सूचकांक या उसको प्रतिस्थापित करने वाला कोई अन्य सूचकांक अभिप्रेत है।

3. जब एक ही यान को राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में पथकर प्लाजा को पार करते समय सारणी में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर अनेक चक्करों के लिए फीस का 1.5 गुना संदाय कर दे और जब यान को उक्त खंड का पूरे मास में निरंतर और बार-बार या इसके परे भी प्रयोग करना हो तो यान का स्वामी उक्त सारणी में यथाविनिर्दिष्ट उसको लागू तीस एकल दरों के समतुल्य प्रभारों को संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "दिन" पद से 24 घंटे की निरंतर अवधि अभिप्रेत है।

4. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संग्रहीत नहीं की जाएगी, अर्थात् :-

(i) ऐसे यान —

(अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति" प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-

(क) भारत के राष्ट्रपति ;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति ;

(ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल ;

(घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति ;

(ङ) "सी डी"/"सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक ;

(च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद् या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठे हों; या

(छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या अपने राज्य या किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान-पत्र प्रस्तुत करता है;

(आ) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करता है ;

(ii) रक्षा यान, जिनके अंतर्गत वे यान भी हैं जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम, 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथाविस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं।

(iii) पुलिस यान, अग्निशमन यान, एम्बुलेंस अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्यारूढ़ यान।

5. रियायतग्राही स्थानीय यातायात से निम्नलिखित छूट दर से अधिक फीस वसूल नहीं करेगा, अर्थात् :

(क) कार/जीप/वैन

(i) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 1: 150.00 रुपये का मासिक पास

(ii) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 2: 300.00 रुपये का मासिक पास

(ख) बस

(i) राज्य परिवहन बसों के लिए मासिक पास ऐसे सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणन पर जो महाप्रबंधक राज्य सरकार सड़क परिवहन की पंक्ति से निम्न नहीं होगा द्वारा उस मार्ग पर प्रतिदिन चलने वाली बसों की संख्या प्रमाणित किए जाने पर यान के लिये निर्धारित एकल फेरे की फीस का तीस गुना संदाय करने पर राज्य सरकार परिवहन के पक्ष में मासिक पास जारी किये जाएंगे और निजी स्थानीय प्रचालकों के मामले में मासिक पास जिला परिवहन प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित मार्ग प्रचालन के लिए उनके परमिट और मार्ग प्रचालन की समय सारणी प्रस्तुत किये जाने पर जारी किए जाएंगे।

(ग) स्कूल बस

(ii) स्कूली छात्रों को ले जाने वाली स्कूल बसों के लिए पथकर प्लाजा पार करने के लिये स्कूल के प्राचार्य के लिखित अनुरोध के साथ स्कूल की मान्यता तथा बस का रजिस्ट्रीकरण दर्शाने वाले दस्तावेजों की प्राप्ति पर एक हजार रुपये की दर से मासिक पास जारी किये जाएंगे।

(घ) हल्के वाणिज्यिक यान/ट्रक (स्थानीय परिवहन प्रचालक)

स्थानीय परिवहन प्रचालक को 20 कि. मी. के भीतर उन्हें चलने का सबूत अर्थात् स्पष्ट रूप से वाहन की वापसी के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए प्रारम्भिक और अन्तिम स्थान के लिए माल का चालान प्रस्तुत करने पर रियायती फीस ली जाएगी। ऐसे परिवहन के लिए, प्रत्येक प्रवेश पर ट्रकों के लिये पच्चीस रुपये और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिये पन्द्रह रुपये की फीस होगी।

6. जब कभी किसी सेवा लेन का निर्माण किया जाएगा तो रियायतग्राही ऐसी लेन (लेनों) के उपयोक्ताओं से कोई फीस संग्रहीत नहीं करेगा।

7. प्रत्येक पथकर प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों और पूरे विस्तार अथवा उसके किसी भाग का उपयोग करने हेतु नीचे निम्नलिखित लम्बाई के लिये शुल्क प्लाजा पर शुल्क एकत्रित किया जाएगा।

(i) पथकर प्लाजा 146.40 कि. मी. पर - 110.00 कि. मी. लम्बाई के लिए

(ii) पथकर प्लाजा 212.00 कि. मी. पर - 66.00 कि. मी. लम्बाई के लिए

(iii) पथकर प्लाजा 328.050 कि. मी. पर - 115.100 कि. मी. लम्बाई के लिए

8. किसी ऐसे यांत्रिक यान से कोई फीस उद्गृहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी जो उक्त सारणी के स्तंभ 2 के अधीन नहीं आते हैं।

9. रियायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले इस अधिसूचना का सार कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) प्रकाशित करेगा, जिसमें इस अधिसूचना के उपबन्धों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की नियत तारीख का भी उल्लेख होगा और ऐसा सार इस अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित फीस को प्रभावी बनाने के दस दिन पूर्व से ही दोहराया जाएगा।

10. रियायतग्राही ऐसे किसी अधिकारी को फीस संग्रहण के भार साधक के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा जो रियायतग्राही के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि फीस का संग्रहण करार की गई दरों से अधिक पर नहीं हो रहा है और फीस का संग्रहण सड़क उपयोक्ताओं को और उससे संबंधित विषयों के लिए असम्यक् कठिनाई पहुँचाए बिना सहज रूप से है।

11. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जा सकेगी और पथकर बूथों से 500 मी. आगे, पथकर बूथों से 100 मी. आगे और पथकर बूथों पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊँचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालक संप्रदर्शन बोर्ड को आसानी से पढ़ सकें।

12. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम 45 दिन पहले, यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी जिससे कि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर कोई टीका टिप्पणी कर सके या स्पष्टीकरण यदि कोई हो मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्पष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथाप्रस्तावित पुनरीक्षित फीस प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई मानी जाएगी।

[फा. सं. एन एच ए आई /13013/428/सी. ऑ. /08-09/जीसी
अम्बाला (पानीपत-जालंधर) बीओटी]

प्रभाकर, उप-सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT
AND HIGHWAYS**

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2009

S.O. 926(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Road Wing) number S.O. 1192 (E), dated the 3rd December, 2001, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) hereinafter referred to as the said Act, the Central Government entrusted the stretches from Km 29.300 to Km 212.000 (Delhi/Haryana Border to Haryana/Punjab Border section) and km. 212.000 to km. 387.100 (Haryana/Punjab Border to Jalandhar section) of National Highway No.1 in the States of Haryana and Punjab respectively to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by Section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Soma-Isolux NH One tollway Private Limited, having its registered office at 8th Floor - Block B, Vatika Towers, Golf Links Road, Sector 54, Gurgaon-122002 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the six laning of Panipat - Jalandhar section from Km 96.00 to Km 387.10 of National Highway No.1 in the States of Haryana and Punjab (hereinafter referred to as the said stretch);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 7 and 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 56(E), dated the 8th January, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said stretch, interest on capital invested, reasonable return, volume of traffic and period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for use of the said stretch at the rate specified in the Schedule annexed hereto and authorises the said Concessionaire to collect and retain the fees on and from the Appointed date or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date.

SCHEDULE

The Concessionaire shall collect and retain the fees on mechanical vehicles specified in column (2) of the Table below, for the use of the said stretch at the rate of base fee specified in column (3) of the said Table.

The fee shall be collected at three fee plazas located at Km. 146.400 (Karnal), Km 212.000 (Sambhu) and Km 328.050 (Ladawal).

TABLE

S. No.	Category of Vehicle	Rate of base fees per vehicle per one way trip per Km (in rupees),
1.	Car, passenger van or jeep	0.40
2.	Light Commercial Vehicles (LCV)	0.70
3.	Truck/Bus	1.40
4.	Multi Axle Vehicle (>2 axle)*	2.25

* It shall include Earth Moving Equipment and Heavy Construction Machinery.

Notes : 1. For the purposes of this notification,—

(i) "actual fees" means the fees actually charged from the road users of the said stretch or any part thereof on crossing any fee plaza derived on the basis of,

- (a) length of the Project Highway assigned to a particular fee plaza,
- (b) base fee given in the above Table, and shall be rounded off to nearest one rupee.

(ii) "Appointed date" means the date on which the concession period is deemed to commence;

(iii) "local traffic" means the following type of traffic in relation to the fee payable for car/jeep/van :

(a) "local traffic category I" shall include users falling into any of the following categories, namely :—

- (1) residents of villages/towns/cities whose boundary falls within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
- (2) establishments/industrial units located within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
- (3) employees of establishments/industrial units located or which have their office within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
- (4) Self employed persons/businessmen having place of work within a radius ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza).

(b) "local traffic category II" shall include local users falling into any of the following categories, namely :

- (1) residents of villages/towns/cities whose boundary falls within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
- (2) establishments/industrial units located within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
- (3) employees of establishments/ industrial units located or which have their office, within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza); and
- (4) self employed persons/businessmen having place of work within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza).

(iv) "termination date" means the date on which the said agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;

(v) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said stretch shall have the meanings respectively assigned to them in the said agreement.

2. The actual rate of fee for the current year and the revision thereof effective from 1st September every year shall be calculated as follows:

$$\text{Base fee} \times \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}} \times \text{Length (in Km.) assigned to a particular fee plaza.}$$

Where

WPI-A = is the Wholesale Price Index on June, 1997(131.4).

WPI - B = is the Average Wholesale Price Index for the year ending March 31st preceding the fee revision date.

WPI means the Whole Sale Price Index as released by the Office of the Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry, Government of India or any other index replacing the same.

3. When a vehicle has to cross the said stretch more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee for multiple trips at 1.5 times the rate as given in the Table above while crossing the toll plaza in the first trip itself and where a vehicle has to use the said stretch continuously and frequently for entire month or even beyond that, then the vehicle owner may have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times the rate applicable for single trip as specified in the said Table.

Explanation :—For the purpose of this notification, "day" shall be counted as continuous period of twenty-four hours.

4. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely :—

(i) Vehicles—

(A) having VIP symbols or officially belonging to

- (a) the President of India;
- (b) the Vice-President of India;
- (c) the Governor of a State and Lieutenant Governor of a Union territory;
- (d) a Foreign dignitary on State visit to India;
- (e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD" "CC" number plates;
- (f) the Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislature Assembly or a Minister for the Union or State or Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle;

(g) a Member of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his identity card issued by Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

1348 98/09-2

(B) belonging to winner of gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the competent authority for such award;

(ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made thereunder (as extended to Navy);

(iii) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.

5. Concessionaire shall not collect fees from local traffic in excess of the following discounted rate:

(a) Car/Jeep/Van:

(i) local traffic category I: Monthly pass of Rs 150.00

(ii) local traffic category II: Monthly pass of Rs 300.00

(b) Buses:

monthly passes shall be issued on payment of thirty times of single journey rates applicable for the said stretch for respective category of vehicles, in case of State Transport buses, on the certification of the competent authority (not below the rank of General Manager, State Government Road Transport) certifying the number of buses plying on the route per day and in case of private local operators, on production of their route permit and timetable of the route operation duly certified by the District Transport Authority.

(c) School Buses:

monthly passes for school buses carrying school students, crossing the toll plaza at the rate of rupees one thousand per month after obtaining written request of the school principal along with the documents showing recognition of the school and the registration of the bus.

(d) Light Commercial Vehicle/Trucks (Local Transport Operators):

Concessional fee for Local Transport Operators on production of proof for plying within twenty kilometers i.e. goods challan origin and destination clearly specifying the return details of the vehicle shall be rupees twenty five for trucks for each entry and rupees fifteen for Light Commercial Vehicle for each entry.

6. As and when a service lane is constructed, the Concessionaire shall not collect any fee from the users of such lane.

7. Fee shall be collected at the fee plaza from the vehicles crossing the fee plaza and using the whole or part of the said stretch for the length mentioned as under :—

(i) Fee plaza at km. 146.40 for 110.00 km. length

(ii) Fee plaza at km. 212.00 for 66.00 km. length

(iii) Fee plaza at km. 328.050 for 115.100 km. length

8. No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle, which is not covered under column 2 of the above Table.

9. The Concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provisions of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.

10. The Concessionaire shall nominate an officer as in-charge of fee collection and the Concessionaire and said officer shall be responsible to ensure that fee is collected at not more than the agreed rates and the fee collection is smooth without causing undue hardship to the road users and for all matters connected therewith.

11. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths also and the height of the display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.

12. The actual fee to be charged from users shall be computed by the Concessionaire and sent to Authority for validation as soon as possible after 31st March, in every year but at least forty-five days before the revised rate is to be effective so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/428/CO/08-09/GC Ambala (Panipat-Jalandhar) BOT]

PRABHAKAR, Dy. Secy.